(ख) 11 मई, 1951 से 26 जून, 1962 की अवधि के दौरान बनाई गई योजनाओं, पुरस्कारों आदि के संबंध में इस आशय की अधिसूचना। 1963 के विधायी अधिनियमन द्वारा अमृतसर के चारदीवारी शहर के भीतर पूरे क्षेत्र को क्षतिग्रस्त क्षेत्र माना जाना चाहिए। इसके अलावा, उक्त योजना और अधिसूचना में पहले से मौजूद खामियों के बावजूद, विधायिका ने अब 1963 के अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान किया है कि बनाई गई और स्वीकृत या स्वीकृत की गई योजनाओं को हमेशा वैध माना जाएगा। इस मामले को देखते हुए 1951 के अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत अपेक्षित अधिसूचना के अभाव के आधार पर योजनाओं की वैधता पर हमला अब और जारी नहीं रखा जा सकता है। श्री गुजराल ने तब एक और सरल तर्क पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं के मामलों पर मान्य अधिनियम का प्रभाव यह है कि उन्हें योजना के खिलाफ वैधानिक आपत्तियां उठाने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है क्योंकि मूल रूप से प्रकाशित योजना अमान्य थी और 29 मार्च को पहली बार योजना के वैध होने के बाद अब कोई आपत्ति दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 1963, संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद। इस बिंदु को न तो रिट याचिका में लिया गया है और न ही संभवतः लिया जा सकता था क्योंकि मामले के लंबित रहने के दौरान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। न ही यह दिखाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने वैध एसी के पारित होने के बाद योजना के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज की थी और अधिकारियों ने आपत्तियों को ध्यान में रखने से इनकार कर दिया था। अन्यथा भी मैं यह सोचने के लिए तैयार हूं कि एक विचारशील प्रावधान को उसकी तार्किक सीमा तक ले जाना चाहिए और 1963 के अधिनियम की धारा 2 में निहित प्रावधान के प्रभाव को समझना होगा! यह माना जाता है कि विचाराधीन संपत्ति 1 फरवरी, 1958 को वैध रूप से घोषित क्षतिग्रस्त क्षेत्र में स्थित है। ऐसा होने पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की यह दलील भी विफल हो जाती है।

इस मामले में मेरे सामने किसी अन्य बिंदु पर बहस नहीं हुई है। इसलिए, ये दोनों रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन रिट याचिकाओं में सबसे मजबूत बिंदु बाद के कानून के कारण निरर्थक हो गया है, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

के.एस.के.

शमशेर बहादुर, जे. के सामने

सिविल विविध।

कवाल नैन सिंह, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, - *उत्तरदाता।*

1966 की सिविल रिट संख्या 2467।

14 मार्च, *1967।*

पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर (1966) खंड। I- परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग से संबंधित विनियम - विनियम 21 - *आपस में विचारों का अंतर*

कवाल नैन सिंह *बनाम* पंजाब यूनिवर्सिटी (शमशेर बहादुर, जे। *स्थायी समिति के सदस्य - कुलपति का संदर्भ - ऐसे संदर्भ पर कुलपति का कर्तव्य - बहुमत के दृष्टिकोण की स्वीकृति - क्या पर्याप्त अनुपालन - उम्मीदवार को अवसर - क्या निर्णय लेने से पहले कुलपति द्वारा वहन किया जाना चाहिए।*

यह माना गया कि यदि स्थायी समिति की राय एकमत नहीं है, तो मामले को निर्णय के लिए कुलपति के पास भेजा जाना चाहिए। कुलपति का यह कहना नियम का अनुपालन नहीं है कि वह बहुमत की राय से सहमत हैं। मतभिन्नता के बाद इस मामले को पुन खोला जाता है और सदस्यों के अलग-अलग नोट्स स्वयं ऐसी सामग्री बनाते हैं जिस पर अपना निर्णय देने में कुलपति को अपना मन बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि कुलपति एक अपील को खारिज कर रहे थे जो उन्हें सर्वसम्मति से लिए गए फैसले के खिलाफ पसंद की गई थी। जब कोई मतभेद दर्ज किया जाता है, तो कुलपति को अर्ध-न्यायिक तरीके से मामले को स्वतंत्र रूप से देखना होता है और सहायक रजिस्ट्रार के नोट को पढ़ने पर उन्हें केवल यह कहकर उस निर्णय तक पहुंचने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि वह बहुमत के फैसले से सहमत हैं। उन्हें स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर विचार और न्यायिक विचार करना होगा।

यह माना गया है कि भले ही स्थायी समिति के निर्णय के लिए मामला रखे जाने से पहले उम्मीदवार को पूरा अवसर दिया जाता है, लेकिन किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले, कुलपति के लिए यह आवश्यक है कि वह उम्मीदवार को स्थायी समिति के सदस्यों की राय पर अपनी बात रखने के लिए बुलाए, जो नई सामग्री का गठन करती है जिससे उम्मीदवार अवगत होने का हकदार है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका *में अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी, मंडमस* या किसी अन्य उपयुक्त *आदेश या निर्देश की रिट जारी की जाए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को चार साल 1966, 1967 , 1968 और 1969* की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है*।*

याचिकाकर्ता की ओर से राजिंदर सच्चर, वकील।

एन अरिंदर सिंह और आर.एस. मोंगिया, वकील, प्रतिवादी के लिए।

आदेश

मार्च, 1966 में आयोजित उच्चतर माध्यमिक भाग-II परीक्षा के परीक्षार्थी याचिकाकर्ता कवल नैन सिंह को पंजाब विश्वविद्यालय के 14 अक्तूबर, 1966 के एक आदेश द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था और वर्ष 1966, 1967, 1968 और 1969 के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के एक आदेश द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इतिहास पेपर 'सी' की परीक्षा 14 मार्च, 1966 को आयोजित की गई थी, और इस पेपर में यह संदेह था कि याचिकाकर्ता ने परीक्षा हॉल में निरंतरता शीट में सन्निहित कुछ सामग्री की तस्करी की थी। याचिकाकर्ता को 18 अगस्त, 1966 को पंजाब विश्वविद्यालय के एक पदाधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया था और उन्हें एक विस्तृत प्रश्नावली सौंपी गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रश्नावली ने निष्पक्ष रूप से उस मामले को रखा जो विश्वविद्यालय के पास उनके खिलाफ था। कोई भी कार्रवाई करने से पहले याचिकाकर्ता को इस संबंध में प्रधान परीक्षक और अन्य विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का अवलोकन करने का अवसर भी दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उस समय कोई और सामग्री नहीं मांगी जब उसे प्रश्नावली सौंपी गई थी। विनियमों के अनुसार, मामले को स्थायी समिति के समक्ष रखा गया और रजिस्ट्रार, जो इस समिति के सदस्य हैं, ने 2 सितंबर, 1966 को एक विस्तृत नोट दर्ज किया,

जिसमें उनके स्वयं के विचार को मूर्त रूप दिया गया कि याचिकाकर्ता पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर (1966) के खंड 1 के विनियमन 14 (ए) (आई) के तहत अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी था। स्थायी समिति के एक सदस्य ने 16 सितम्बर, 1966 को रजिस्ट्रार की राय से सहमति व्यक्त करते हुए एक संक्षिप्त नोट दर्ज किया। तीसरे सदस्य, बख्शी शेर सिंह ने इस मामले पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और 21 सितंबर, 1966 के अपने स्वयं के नोट में बिंदुओं को निर्धारित किया, जो उनके विचार में उम्मीदवार को संदेह का लाभ दिए जाने का हकदार था। बख्शी शेर सिंह ने सोचा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला केवल संदेह पर आधारित था।

विनियम 14 (ए) (i) एक उम्मीदवार के मामले से संबंधित है जिसे "उत्तर-पुस्तिका या निरंतरता-पत्रक में तस्करी" का दोषी पाया जाता है और अनुचित साधनों से संबंधित उसी अध्याय के विनियमन संख्या 21 के तहत यह प्रावधान किया गया है: –

> आदेश में कहा गया है, 'सिंडिकेट परीक्षाओं के संबंध में कथित कदाचार और अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों से निपटने के लिए वार्षिक स्थायी समिति नियुक्त करेगा. जब समिति एकमत हो जाती है, तो उसका निर्णय अंतिम होगा, सिवाय इसके कि नीचे दिए गए परंतुक में दिया गया है। यदि समिति एकमत नहीं है, तो मामले को कुलपति के पास भेजा जाएगा जो या तो खुद मामले पर फैसला करेंगे या इसे निर्णय के लिए सिंडिकेट को भेजेंगे।

परंतुक, जो इस मामले के प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, विनियम संख्या 21 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां उम्मीदवार द्वारा निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, कुलपति को लगता है कि कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, जो यदि वे समिति के समक्ष होते, तो उन्हें एक अलग निर्णय पर आने के लिए प्रेरित कर सकते थे।

स्थायी समिति के सदस्यों के बीच मतभेद होने के कारण मामले को कुलपति के पास भेज दिया गया। सहायक रजिस्ट्रार द्वारा एक नोट रिकॉर्ड किया गया था और रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। कुलपति ने उस पर निम्नलिखित आदेश दर्ज किया "मैं बहुमत की राय स्वीकार करता हूं"। 6 अक्टूबर, 1966 को, कुलपति ने बहुमत से सहमत होने के बाद, याचिकाकर्ता को आक्षेपित आदेश से अवगत कराया गया, जिसकी ओर से उनके विद्वान वकील श्री सच्चर द्वारा आग्रह किया गया है कि अयोग्यता का आदेश विनियम संख्या 21 में परिकल्पित निर्णय नहीं है। यह स्पष्ट है कि यदि स्थायी समिति की राय एकमत नहीं है, तो मामले को निर्णय के लिए कुलपति के पास भेजा जाना चाहिए। कुलपति का यह कहना नियम का अनुपालन नहीं है कि वे बहुमत की राय से सहमत हैं- लिखित में मतभेद दर्ज होने के बाद मामले को फिर से खोला जाता है और सदस्यों के अलग-अलग नोट्स स्वयं ऐसी सामग्री बनाते हैं जिस पर अपना निर्णय देने में कुलपति को अपना मन बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि कुलपति एक अपील को खारिज कर रहे थे जिसे सर्वसम्मति से लिए गए फैसले के खिलाफ उनके लिए तरजीह दी गई थी। जैसा कि मैंने विनियम पढ़ा है, जब विचारों में मतभेद दर्ज किया जाता है, तो कुलपति को मामले को अर्ध-न्यायिक तरीके से स्वतंत्र रूप से देखना होता है और सहायक रजिस्ट्रार के नोट को पढ़ने पर उन्हें केवल यह कहकर उस निर्णय तक पहुंचने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि वह बहुमत के निर्णय से सहमत हैं। उन्हें स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर विचार और न्यायिक विचार करना होगा। बख्शी शेर सिंह ने अपने असहमति नोट में कारण बताए हैं कि उन्होंने क्यों माना कि कंटीन्यूशन-शीट में निहित उत्तरों को परीक्षा हॉल के बाहर

दर्ज नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता के लाभ के लिए अंदर तस्करी की जा सकती है।

श्री सच्चर द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि कुलपति द्वारा विनियमन संख्या 21 के तहत अपना निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता को एक अवसर दिया जाना चाहिए था। यह सच है कि मामले को स्थायी समिति के निर्णय के लिए रखे जाने से पहले याचिकाकर्ता को पूरा मौका दिया गया था। यदि स्थायी समिति का निर्णय सर्वसम्मति से होता, तो याचिकाकर्ता को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता था कि उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था। स्थायी समिति ने अपने समक्ष रखे गए आंकड़ों और सबूतों पर विपरीत विचार व्यक्त किए, सदस्यों द्वारा दर्ज की गई राय ने कुलपति के निर्णय के लिए नई सामग्री का गठन किया और प्राकृतिक न्याय के नियमों के तहत याचिकाकर्ता वैध रूप से इसके बारे में प्रस्तुतियां देने का हकदार बन गया जब कुलपति नियम 21 के तहत स्वतंत्र रूप से प्रश्न का फैसला करने के लिए आए। आखिर वो कारण जो

बख्शी शेर सिंह द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में दर्ज किए गए बयान को कुलपति के समक्ष एक नए परिप्रेक्ष्य या आयाम में दबाया या प्रस्तुत किया जा सकता था और इस तरह के तर्क ने उन्हें सराहना की होगी। मुझे लगता है कि कुलपति के इस बयान को कि उन्होंने बहुमत की राय को स्वीकार कर लिया है, को विनियम संख्या 21 द्वारा विचार किया गया "निर्णय" नहीं माना जा सकता है और मुझे यह भी लगता है कि कुलपति को किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले, याचिकाकर्ता को उस सामग्री पर अपनी बात रखने के लिए कहना चाहिए था जिससे वह अवगत होने का हकदार था।

इसलिए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और आक्षेपित आदेश को रद्द करता हूं। उपर्युक्त टिप्पणियों के अनुसार कुलपति के लिए विनियम संख्या 21 के तहत निर्णय लेने का विकल्प खुला होगा। इन परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए पंजाब विश्वविद्यालय को भेजी जानी चाहिए।

बी.आर.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी

अपीलीय सिविल

ए. एन. ग्रोवर और प्रेम चंद पंडित से पहले जेजे.

भारत संघ, - *अपीलकर्ता*

बनाम

शीला देवी और अन्य, —*उत्तरदाता।*

1959 की नियमित प्रथम अपील संख्या 212।

14 मार्च, 1967

*भूमि अधिग्रहण अधिनियम (*1894 का I) - *धारा 9 और* 25 - *कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस* - कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय से परे लेकिन निर्णय से पहले मालिक द्वारा दायर *किया गया दावा - क्या वैध है - विशेष रूप से संपत्ति की कुछ वस्तुओं के संबंध में दावा नहीं किया गया है - क्या अदालत द्वारा अनुमति दी जा सकती है, भले ही दिया गया कुल मुआवजा दावा की गई राशि से अधिक न हो।*

यह माना गया है कि यदि कोई दावेदार नोटिस में निर्धारित समय से परे भूमि अधिनियम की धारा 9 के तहत कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस के अनुसरण में अपना दावा करता है, लेकिन निर्णय दिए जाने से पहले, कलेक्टर के पास उसके दावे से निपटने का अधिकार क्षेत्र है और ऐसा दावा नोटिस के अनुसार एक दावा है।